प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.08.2024

कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में, व थानाध्यक्ष चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2024 धारा 147, 323, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 447 भादवि से संबंधित अभियुक्त खेतान मौर्या पुत्र स्व0 नरायन निवासी बघाड़ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.04.2024 को थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त हुई कि वादी मुकदमा को गाली गुफ्ता देते तथा जान से मारने की धमकी देना तथा अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी मुकदमा के पैतृक जमीन को वसीयत करा लेना तथा वादी मुकदमा के पैतृक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास -

खेतान मौर्या पुत्र स्व0 नरायन निवासी बघाड़ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

i. मु0अ0सं0 138/2024 धारा 147,323,504,506,419 420,467,468,471,447 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0स0 543/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम –

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर